बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक–03 / नि॰प्रशि॰ (प्रशिक्षण राशि आकलन)–27 / 2024(2) .... / पटना, दिनांक..........................

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के सभी पैक्सों के अध्यक्ष / प्रबंधक एवं व्यापार मंडलों के अध्यक्ष का प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला के लिए रू॰–1,23,51,050 / – (एक करोड़ तेईस लाख इक्यावन हजार पचास) रूपये मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के सभी 8463 पैक्स के अध्यक्ष एवं प्रबंधक तथा 523 व्यापार मंडल के अध्यक्ष अर्थात कुल–(8463X2=16926)+523=17449 प्रशिक्षणार्थियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला के लिए रू॰–1,23,51,050 / – (एक करोड़ तेईस लाख इक्यावन हजार पचास) रूपये मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उपमुख्य शीर्ष–00, लधुशीर्ष–003 प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0104–सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण हेतु व्यय, विस्तृत शीर्ष–20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–03–प्रशिक्षण व्यय मद, विपत्र कोड–09–2425000030104 के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

3. इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला हेतु लागत व्यय से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री, अल्पाहार, भोजन तथा स्थल बुकिंग एवं साज–सज्जा आदि हेतु अनुमानित व्यय का आकलन किया गया है, जो निम्नतालिका में प्रदर्शित हैः–

क्र॰स॰	मद	प्रस्तावित व्यय	कुल व्यय
01	भोजन एवं अल्पाहार	17449 X 350	61,07,150 / –
02	प्रशिक्षण सामग्री	17449 X 100	17,44,900 / –
03	स्थल बुकिंग एवं साज–सज्जा	37 X 1,00,000	37,00,000 / –
		4,00,000 (पटना जिला)	4,00,000 / –
04	प्रशिक्षकों का मानदेय	1500 X 7 X 38	3,99,000 / –
कुल	(01+02+03+04)=1,23,51,050 / –(एक करोड तेइस लाख इक्यावन हजार पचास रूपया मात्र)		

योजना हेतु अग्रेतर दिशा–निदेश लेने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। आवश्यकतानुसार योजना राशि में वृद्धि की जा सकेगी।

4. इस राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें, जो संबंधित जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी को उक्त राशि का उप आवंटन प्रदान करेंगे।

5. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जाएगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2561, दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245, दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों / अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक–4989/वि॰(2) दिनांक–16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें। साथ ही उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 माह के अन्दर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के माध्यम से सहकारिता विभाग को प्राप्त करायेंगे।

8. इस राशि के अंकेक्षण का अधिकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को होगा।

9. योजना प्रस्ताव एवं संलेख पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति संचिका संख्या–03/नि॰प्रशि॰ (प्रशिक्षण राशि आकलन)–27/2024(2) के पृष्ठ संख्या–85/प॰ पर दिनांक–24.12.2025 को प्राप्त है।

10. योजना प्रस्ताव एवं संलेख पर स्कीम स्क्रीनिंग समिति की स्वीकृति संचिका संख्या–03/नि॰प्रशि॰ (प्रशिक्षण राशि आकलन)–27/2024(2) के पृष्ठ संख्या–107/प॰ पर दिनांक–21.01.2026 को प्राप्त है।

11. इस स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या–03/नि॰प्रशि॰ (प्रशिक्षण राशि आकलन)–27/2024(2) के पृष्ठ संख्या–59/टि॰ पर दिनांक–27.01.2026 को प्राप्त है।

12. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– 03/नि॰प्रशि॰ (प्रशिक्षण राशि आकलन)–27/2024(2) के पृष्ठ संख्या–59/टि॰ पर दिनांक– 28.01.2026 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह॰/–
(मो॰ अब्दुल रब खाँ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/नि॰प्रशि॰ (प्रशिक्षण राशि आकलन)–27/2024(2) 585 /पटना, दिनांक 29/01/26
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1. माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव।
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे में।
3. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।
4. सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना।
5. अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3, सहकारिता विभाग/विपत्र शाखा, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/आई॰टी॰ मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

1
1421
29-01-2026

29/01/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।